उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या 515/XXVII(9)/2021/स्टाम्प–80/2009
देहरादून: दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महानिरीक्षक निबंधन के पत्र संख्या 748/म0नि0नि0/2021–22 दिनांक 25.11.2021 से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में तत्काल प्रभाव से निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 (यथा संशोधित व प्रवृत्त) के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण क्षेत्र) के अन्तर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें उद्यमियों/विधिक व्यक्ति द्वारा Single window system पर आवेदन किया गया है, भूमि क्रय किये जाने पर क्षेत्र विशेष की निर्धारित अकृषि दर की 50 प्रतिशत दरें प्रभावी होंगी;

परन्तु ऐसे विलेखों के माध्यम से अन्तरित भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आंकलित मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से न्यून/अधिक नहीं होगा।

अग्रेत्तर यह कि जिन क्षेत्रों में अकृषि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु निर्धारित दरो से न्यून होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमि हेतु निर्धारित सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रवृत्त होगी, परन्तु किसी भी दशा में अकृषि दरों से अधिक नहीं होंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या: 515 (1)/XXVII(9)/2021/स्टाम्प–80/2009 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।

प्राप्त 17/12/21

Scanned by CamScanner

4. निजी सचिव–सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
6. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

C:\Users\Admin\Desktop\...\C.M. Ref. Draft.doc

Scanned by CamScanner